उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0 162–ज0स0(विज्ञा0)/पाकालि/2011/1–ज0स0/78 दिनांक : 12-7-11

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा समाचार–पत्र तरूणमित्र (हिन्दी दैनिक), लखनऊ, जिसे उ0प्र0 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं डी0ए0वी0पी0 द्वारा शासकीय विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त है, को तत्काल प्रभाव से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/अधीनस्थ इकाइयों से निर्गत होने वाले विज्ञापनों हेतु इस प्रतिबंध के साथ स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है कि वे समय–समय पर डीएवीपी द्वारा दरें पुनरीक्षित किये जाने पर उसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति अनुसचिव(विज्ञापन), उ0प्र0पावर कारपोरेशन(मुख्यालय) को प्रत्येक बार नियमित रूप से अवश्य उपलब्ध कराते रहेंगे।

इस समाचार–पत्र में विभिन्न विद्युत वितरण निगमों एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपो0 लि0 एवं पावर कारपोरेशन मुख्यालय से सम्बद्ध इकाइयों द्वारा प्रकाशित कराये गये विभागीय विज्ञापनों के बीजकों का भुगतान सम्बंधित निगमों/क्षेत्रों/इकाईयों द्वारा ही किया जायेगा। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) द्वारा, मात्र मुख्यालय से निर्गत विज्ञापनों से संबंधित बीजकों का ही भुगतान किया जायेगा।

सक्षम अधिकारी (निम्नतम अधिशासी अभियन्ता स्तर तक) द्वारा विज्ञापन/निविदा निर्गत न किये जाने की स्थिति में, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उसके भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। इस समाचार–पत्र को सूचीबद्ध किये जाने के आदेश जारी होने की तिथि के उपरान्त प्रकाशित किये गये विज्ञापनों के विरूद्ध देय बीजकों का ही भुगतान किया जायेगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 हित में, आवश्यक समझे जाने पर किसी भी समय स्थायी मान्यता समाप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सं0: – (1)/विज्ञा0/पाकालि/10 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक–मध्यांचल लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा, विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को, कानपुर।
2. निदेशक(वितरण)/(वित्त)/(पारेषण)/(वाणिज्य)/(कार्मिक प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. सलाहकार/संयुक्त–सचिव एवं अध्यक्ष–सह प्रबन्ध–निदेशक के विशेष सहायक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधि0निदेशक, पारेषण, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रमुख निजी सचिव सं0 अध्यक्ष सह–प्रबंध–निदे0/निजी सचिव सं0 अपर प्रबंध निदे0, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से संबद्ध इकाइयाँ : वाणिज्यिक/नियोजन/रेस्पो/जॉच–समिति(I/II)/जल विद्युत कार्यालय/जानपद–मुख्यालय/ऊर्जा क्रय (PPA)/कम्प्यूट्राईजेशन इकाई/ऊर्जा प्रणाली/आर0ए0यू0 एवं प्रबंध सामग्री उ0प्र0पाकालि।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, समस्त पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0पा0 ट्रान्स0 का0 लि0, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/मुख्यालय भुगतान/प्रशासन/आय–व्ययक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सचिव, विद्युत सेवा आयोग/विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद -मुख्यालय)/विद्युत आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0।
11. जनसम्पर्क अधिकारी/विज्ञापन अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. प्रबन्धक, तरूणमित्र (हिन्दी दैनिक), अरगरहा, हुसैनगज, लखनऊ–226001 को उनके पत्र सं0 133, दि011.01.11,134, दि0 01.3.11 सं0 शून्य, 22.3.11 एवं सं0 शून्य, दिनांक 08.6.2011 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
बदन सिंह 11-7-11
(बदन सिंह)
अनुसचिव (विज्ञापन)।